JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI-834004

Phone :- 0651-2400852,2400851 Fax :- 0651-2400850: www.jspcb.org

पत्रांक. PC/NOC/HBG/02/17/ रॉंची, दिनांक.................

प्रेषक,

एस० के० सुमन,
सदस्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
झारखण्ड सरकार, रॉंची ।

विषयः **"M/s Central Coalfields Limited (CCL), Balkudra OCP, 1/1.3 MTY, 149.5 Ha at Village Balkudra & Kurse, Dist- Ramgarh का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थगित करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में अनुरोध है कि इस पर्षद से संबंधित संलग्न सूचना को निम्नलिखित स्थानीय समाचार पत्रों में जो **रामगढ़**. जिला में पढ़ा जा सके, दर्शाये गये तिथि के अनुसार प्रकाशन कराया जाय।

1. प्रभात खबर, **रामगढ़** . संस्करण – एक दिन प्रकाशन तिथि **18.03.2017**
2. हिन्दुस्तान टाईम्स, दिल्ली एवं रॉंची राष्ट्रीय संस्करण – एक दिन प्रकाशन तिथि **18.03.2017**

कृपया दर्शायी गई तिथि को (प्रथम एवं अंतिम पृष्ट को छोड़कर) 10cm x12cm में उपरोक्त दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् विज्ञापित सामग्रियों की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

विश्वासभाजन,

अनु0 यथोपरि। ह0/–

(एस० के० सुमन)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक.. PC/NOC/HZB/02/2017/ D-982 रॉंची, दिनांक 15-03-17

प्रतिलिपिः लेखाशाखा, मुख्यालय रॉंची/वेबसाईट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० के० सुमन)
सदस्य सचिव

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI-834004
Phone :- 0651-2400852,2400851 Fax :- 0651-2400850: www.jspcb.org

लोक सुनवाई की सूचना

M/s Central Coalfields Limited (CCL), Balkudra OCP, 1/1.3 MTY, 149.5 Ha at Village Balkudra & Kurse, Dist- Ramgarh की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की तिथि **दिनांक 22.04.2017** (दिन–शनिवार) को पूर्वाहन् **11.00** बजे **"Bhurkunda Club "** में निर्धारित की गई है।

उक्त परियोजना के सम्भावित प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों/नागरिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक सुनवाई में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से भाग लें एवं अपने विचार से अवगत करावें । इसके अतिरिक्त वे अपना सुझाव, विचार, मंतव्य अथवा आपत्ति, यदि हो, तो लिखित रूप से सूचना उक्त लोक सुनवाई की तिथि से **एक सप्ताह पूर्व** तक झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची/जिले के उपायुक्त कार्यालय, **रामगढ** / पर्षद के **क्षेत्रीय कार्यालय सह प्रयोगशाला, हजारीबाग** में उपलब्ध करा दें।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। लोक सुनवाई की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई०आइ०ए० अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या एस0ओ03067(ई०) दिनांक 01.12.09 के अनुरूप होगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट का ड्रॉफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा इसके सारांश की एक–एक हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी रहेगी। साथ ही कार्यकारी सारांश भी इन कार्यालयों से ही प्राप्त किया जा सकता है।

1. उपायुक्त कार्यालय, **रामगढ़** ।
2. जिला उद्योग केन्द्र, **रामगढ़** ।
3. जिला पर्षद्/नगर निकाय, **रामगढ़** ।
4. मुख्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, **हजारीबाग** ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, (रॉची) बंगला न0 ए–2, श्यामली कॉलोनी , रॉची – 834 002
7. संबंधित पंचायत।
8. संबंधित प्रखण्ड विकास पदा०/अंचलाधिकारी कार्यालय।

(एस० के० सुमन)
सदस्य सचिव